संख्या-21/ 2025/709/ सत्रह-म-2025-17- 1099/95/2023

प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 10 जून, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान सं0-17 लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखशीर्ष 2405- मछली पालन,800- अन्य व्यय, 13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-217/ नि0शा0/2025-26 दिनांक 08 मई , 2025 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0- 9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान सं0-17 लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 2500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखशीर्ष 2405- मछली पालन,800-अन्य व्यय, 13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17 लेखशीर्षक 2405- मछली पालन,800-अन्य व्यय, 13- उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य में दयय कैश मैनेजमेंट एवं वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत रू0 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि का संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनर्विनियोग की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य महानिदेशक मत्स्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक मत्स्य का होगा।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न आर.ई.संख्या –बजट-1- 15 , दिनाँक 24.06.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

Digitally signed by Harish Kumar (हरीश कुमार)
Date: 09-07-2025 14:32:03

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या 21 /2025/ 709/ सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।